

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जनवरी 2015—माघ 3, शक 1936

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2015

क्र. ई.-5-849-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सी.बी. सिंह, आयएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 27 से 31 जनवरी 2015 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25, 26 जनवरी 2015 एवं 1 फरवरी 2015 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सी.बी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सी.बी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सी.बी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-964-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ऋषि गर्ग, आयएस., सहायक कलेक्टर, जिला गुना को दिनांक 12 से 31 जनवरी 2015 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 जनवरी 2015 एवं 1 फरवरी 2015 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री ऋषि गर्ग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री ऋषि गर्ग को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ऋषि गर्ग अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-1-5-2015-5-एक.—भारत सरकार, रेल मंत्रालय के पत्र दिनांक 26 दिसम्बर 2014 के अनुक्रम में श्री अश्विनी लोहानी IRSME/1980 की सेवाएं पर्यटन विभाग को सौंपते हुए, उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें आयुक्त, पर्यटन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री अश्विनी लोहानी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री हरिंजन राव, भाप्रसे (1994), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, पर्यटन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री एवं आयुक्त, पर्यटन (अतिरिक्त प्रभार) केवल आयुक्त, पर्यटन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

क्र. ई.-1-6-2015-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भा.प्र.से., अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री एम. मोहन राव (1987) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग तथा वि.क.अ. सह-संचालक, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जाति कल्याण (अतिरिक्त प्रभार)।	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग तथा वि. क. अ. सह-आयुक्त. सामाजिक न्याय एवं वि.क.अ. सह-संचालक विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जाति कल्याण (अतिरिक्त प्रभार)।
2	श्री मलय श्रीवास्तव (1990) पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत।	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग।

(1) (2) (3)

3 श्री अमित राठौर (1996) आयुक्त, वाणिज्यिक कर इन्दौर. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग।

4 श्री राघवेंद्र कुमार सिंह (1997) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम. आयुक्त, वाणिज्यिक कर इन्दौर.

(2) उपरोक्तानुसार श्री एम. मोहन राव द्वारा प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अरूणा शर्मा, भाप्रसे (1982) वि.क.अ.-सह-विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं सामाजिक न्याय विभाग केवल सामाजिक न्याय विभाग के प्रभार से मुक्त होंगी।

(3) उपरोक्तानुसार श्री मलय श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रमोद अग्रवाल, भाप्रसे (1991) प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग तथा लोक निर्माण विभाग, केवल परिवहन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2015

क्र. ई.-5-727-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद कटेला, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग को दिनांक 4 से 10 सितम्बर 2014 तक सात दिन तथा दिनांक 28 नवम्बर 2014 से 6 दिसम्बर 2014 तक, नौ दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री विनोद कटेला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद कटेला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऑन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2015

क्र. ई.-5-846-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रेनू तिवारी, आयएएस., संचालक, संस्कृति तथा स्वराज्य संस्थान मिशन को

समसंख्यक आदेश दिनांक 17 दिसम्बर 2014 द्वारा दिनांक 18 से 31 दिसम्बर 2014 तक, चौदह दिन का संशोधित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 19 से 29 दिसम्बर 2014 तक, ग्यारह दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 17 दिसम्बर 2014 अनुसार यथावत् रहेंगी।

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2015

क्र. ई.-5-954-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक कुमार शर्मा, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 19 दिसम्बर 2014 द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर से 9 जनवरी 2015 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 28 दिसम्बर 2014 एवं 10, 11 जनवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 29 दिसम्बर 2014 से 4 जनवरी 2015 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 19 दिसम्बर 2014 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अश्विनी कुमार राय, प्रमुख सचिव “कार्मिक”.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2015

क्र. बी-1-06-2015-2-एक.—सुश्री शालिनी सोरते, राप्रसे (आर आर 2006) डिप्टी कलेक्टर, एवं उपायुक्त, भू-अभिलेख, इन्दौर ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विवाहोपरांत उपनाम श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव पत्नी श्री राजेश श्रीवास्तव परिवर्तित करने का अनुरोध किया है।

(2) राज्य शासन, एतद्द्वारा, सुश्री शालिनी सोरते, राप्रसे के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनका नाम सुश्री शालिनी सोरते के स्थान पर श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव पत्नी श्री राजेश श्रीवास्तव परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(3) उपरोक्तानुसार उप नाम परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव के सेवा अभिलेखों में की जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

फजल मोहम्मद, अवर सचिव “कार्मिक”.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2014

फा. क्र. 3(ए)6-2014-इक्कीस-ब-(एक) 4218.—राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री प्रभाकांत शुक्ला, विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट, शिवपुरी को उनके द्वारा दिनांक 28 नवम्बर 2014 को प्रस्तुत सूचना-पत्र के अनुक्रम में ऑल इंडिया सर्विसेस (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनेफिट) रूल्स, 1958 के नियम 16 (2-ए) सहपठित मध्यप्रदेश जिला एवं सेशन न्यायाधीश (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनेफिट) रूल्स, 1964 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42 (1) सहपठित मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम-17 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने के लिये अनुज्ञात किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 31 दिसम्बर 2014 के अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करता है।

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2015

फा. क्र. 1-अ-01-इक्कीस-ब-(दो) 2014.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से परामर्श उपरान्त श्री रवीश चन्द्र अग्रवाल, महाधिवक्ता मध्यप्रदेश जबलपुर को मध्यप्रदेश राज्य में उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय हेतु उनके द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करता है।

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2015

फा. क्र. 3(बी)-2-2013-इक्कीस-ब-(एक).—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2013 की चयन सूची दिनांक 19 मई 2014 में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर चयनित अभ्यर्थी सुश्री ईशा गोयल (मेरिट क्र. 7) की ओर से प्रेषित प्रस्ताव पर, विचार किए जाने के उपरान्त राज्य शासन, एतद्द्वारा, सुश्री ईशा गोयल का नाम चयनित सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 7 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है।

फा. क्र. 1-7-81-इक्कीस-ब-(एक)-4081-2014.—मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (1), (1-क) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-7-81-इक्कीस-ब-(एक), दिनांक 19 मई 1981 जो उसी दिन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुई थी, को,

जहां तक कि उसका संबंध भिण्ड में विशेष न्यायालय के गठन से है, आंशिक रूप से अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नीचे अनुसूची के कालम (2) में उल्लिखित विशेष न्यायालयों का, उक्त अनुसूची के कालम (3) में यथादर्शित क्षेत्र के अधीन आने वाले मामलों के विचारण के संबंध में गठन करती है, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक	विशेष न्यायालय	क्षेत्रीय अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
"2.	विशेष न्यायालय, भिण्ड	राजस्व जिला भिण्ड (गोहद और लहार की क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर).
2क.	विशेष न्यायालय, गोहद, भिण्ड.	गोहद एवं लहार का क्षेत्रीय अधिकारिता."

टिप्पणी.—विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे.

F. No. 1-7-81-XXI-B (One)-4081-2014.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1)-(1-A) & (2) of Section 6 of the Madhya Pradesh Dakaiti Aur Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhinyam, 1981 (No. 36 of 1981), and in partial supersession of this department's Notification F. No.1-7-81-XXI-B (1) dated 19th May 1981 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary) on the same day, as far as it relates to the constitution of Special Court at Bhind, the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh hereby constitutes the Special Court mentioned in column (2) of the Schedule below for the purposes of the said Act in relation to the trial of the cases falling under areas as shown in column (3) of the said Schedule namely:—

SCHEDULE

S. No.	Special Court	Territorial jurisdiction
(1)	(2)	(3)
"2.	Special Court, Bhind	Revenue District, Bhind (Excluding the Territorial jurisdiction if Gohad and Lahar).
2A.	Special Court, Gohad, Bhind.	Territorial jurisdiction of Gohad and Lahar."

Note.—The pending cases of the Special Court shall stand transferred to newly constituted court according to their territorial jurisdiction.

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2015

फा. क्र. 3(बी)-2-2013-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 29) राज्य शासन, सुश्री विमलेश मुडैया पिता श्री लम्पूराम मुडैया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी है. उसकी जन्मतिथि 22 अगस्त 1981 है.

फा. क्र. 3(बी)-2-2013-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 13) राज्य शासन, श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा पिता श्री कुलदीप सिंह छाबड़ा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला कवर्धा (छत्तीसगढ़) है. उसकी जन्मतिथि 14 फरवरी 1986 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2015

क्र. एफ-1(ए) 395-88-ब-2-दो.—श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, महिला अपराध, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 12 जनवरी से 13 मार्च 2015 तक कुल, इकसठ दिवस का चाईल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री एस.एल. थाउसेन, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अजाक, पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, महिला अपराध, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव।

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2015

क्र. एफ-10-03-2014-बी-ग्यारह.—चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि बेकारी का निवारण करने तथा बेकारी से राहत प्रदान करने और संबंधित उपक्रम के कार्यरत श्रमिक वर्ग के हितों की सुरक्षा करने के उपाय के तौर पर औद्योगिक इकाई अर्थात् “डी.एम.वूलन मिल्स प्रा. लि. इन्दौर” को चालू रखने में समर्थ बनाने की दृष्टि से उक्त औद्योगिक इकाई को “सहायता उपक्रम” घोषित करना लोकहित में तथा श्रमिकों के हित में आवश्यक तथा समीचीन है।

(2) अतएवं मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1978 (क्रमांक-32 सन् 1978) की धारा-3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक इकाई अर्थात् “डी.एम.वूलन मिल्स प्रा. लि. इन्दौर” को अधिसूचना की दिनांक से “एक वर्ष” की कालावधि के लिए “सहायता उपक्रम घोषित” करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. सोलंकी, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2015

क्र. एफ. 10-03-2014-बी-ग्यारह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 10-03-2014-बी-ग्यारह, दिनांक 9 जनवरी 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. सोलंकी, उपसचिव।

Bhopal, dated 9th January 2015

No. F-10-03-2014-B-XI.—WHEREAS, the State Govt. is satisfied that it is necessary as well as expedient in the public interest of workers to declare the industrial company namely D M WOOLEN MILLS PVT LTD, INDORE (MADHYA PRADESH) company as a measure of preventing and of providing relief against unemployment and; a relief Undertaking with a view to enabling the continued running of the industrial also to safeguard the interest of the labour working in the said industrial company.

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Section-3 of the Madhya Pradesh Sahayata Upkaram (Vishesh Upabandh) ADHINIYAM 1978 (No. 32 of 1978) the State Government hereby declares the industrial company namely: D M WOOLEN MILLS PVT LTD, INDORE (MADHYA PRADESH) a relief Undertaking for a period of one year from the date of notification.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh
M. S. SOLANKI, Dy. Secy.

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2015

क्र. एफ-3-1-2014-एक-4.—राज्य शासन, एतद्वारा संलग्न परिशिष्ट-एक एवं दो में दर्शाये गये त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 हेतु मतदान तीन चरणों में क्रमशः दिनांक 13 जनवरी 2015 मंगलवार एवं दिनांक 31 जनवरी 2015 शनिवार तथा दिनांक 19 फरवरी 2015 गुरुवार को जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिये सामान्य अवकाश तथा परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ अवस्थी, उपसचिव।

परिशिष्ट-एक

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462011

संशोधित आदेश

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-37-03-2014-तीन-1860.—मध्यप्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा 9(2) (क) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 28 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2014-15 हेतु पूर्व में जारी समय-अनुसूची (कार्यक्रम) आदेश क्रमांक एफ-37-03-2014-तीन-1752, दिनांक 15 दिसम्बर 2014 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन विहित करता है:—

स. क्र. (1)	कार्यवाही (2)	नियम (3)	निर्धारित तारीख			समय (7)
			प्रथम चरण (4)	द्वितीय चरण (5)	तृतीय चरण (6)	
1	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नामनिर्देशन-पत्र प्राप्त करना.	28, 29	22-12-2014 (सोमवार)	31-12-2014 (बुधवार)	31-12-2014 (बुधवार)	प्रातः 10.30 बजे.
	(ii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.	29(क)				
	(iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन.	23				
2	नामनिर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख.	28(क)	29-12-2014 (सोमवार)	7-1-2015 (बुधवार)	7-1-2015 (बुधवार)	दोपहर 3.00 बजे तक.
3	नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच).	28(ख)	30-12-2014 (मंगलवार)	8-1-2015 (गुरुवार)	8-1-2015 (गुरुवार)	प्रातः 10.30 बजे.
4	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अन्तिम तारीख.	28(ग)	1-1-2015 (गुरुवार)	10-1-2015 (शनिवार)	10-1-2015 (शनिवार)	दोपहर 3.00 बजे तक.
5	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	38, 39	01-1-2015 (गुरुवार)	10-1-2015 (शनिवार)	10-1-2015 (शनिवार)	अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद.
6	मतदान (यदि आवश्यक हो)	28(घ)	13-1-2015 (मंगलवार)	31-1-2015 (शनिवार)	19-2-2015 (गुरुवार)	प्रातः 7.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक.
7	मतगणना सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा.	28(ङ), 28 (च)	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना (केवल पंच एवं सरपंच पद के लिए).	-	13-1-2015 (मंगलवार)	31-1-2015 (शनिवार)	19-2-2015 (गुरुवार)	(मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्).
(ii)	जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखण्ड मुख्यालय पर ई.व्ही.एम. से की जाने वाली मतों की गणना, जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा. जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का विकासखण्ड स्तरीय सारणीकरण.	-	16-1-2015 (शुक्रवार)	4-2-2015 (बुधवार)	22-2-2015 (रविवार)	प्रथम राउण्ड- प्रातः 7.30 बजे से 10.30. द्वितीय राउण्ड- प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00. तृतीय राउण्ड- दोपहर 2.30 बजे से सायं 5.30.
(iii)	जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा.	-	17-1-2015 (शनिवार)	5-2-2015 (गुरुवार)	23-2-2015 (सोमवार)	प्रातः 10.30 बजे से.
(iv)	सरपंच एवं पंच पद की मतदान केन्द्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा.	-	17-1-2015 (शनिवार)	5-2-2015 (गुरुवार)	23-2-2015 (सोमवार)	प्रातः 8.00 बजे से.
(v)	सरपंच एवं पंच पद की विकासखण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना, सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा.	-				

हस्ता./-

(दीपक सक्सेना)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

परिशिष्ट-2
(यथासंशोधित)

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
पंचायत आम निर्वाचन (2014-15)
चरणवार यथा संशोधित निर्वाचन की जानकारी

क्र.	जिला	प्रथम चरण			द्वितीय चरण			तृतीय चरण		
		विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
भोपाल संभाग										
1	भोपाल		निरंक					फंदा बैरसिया	87 110	220 305
			योग . .						197	525
2	राजगढ़	ब्यावरा राजगढ़	109 101	262 253	सांरगपुर खिलचीपुर	98 95	268 207	नरसिंहगढ़ जीरापुर	132 87	374 205
			योग . .	210 515		193	475		219	579
3	रायसेन	सांची सिलवानी	77 67	217 171	उदयपुरा बेगमगंज गैरतगंज	68 60 51	152 139 115	बाड़ी औ.गंज	103 72	250 223
			योग . .	144 388		179	406		175	473
4	सीहोर	सीहोर	144	393	नसरूल्लागंज इछावर	87 70	251 187	आष्टा बुदनी	134 62	390 159
			योग . .	144 393		157	438		196	549
5	विदिशा	बासोदा विदिशा	101 95	286 240	कुरवाई ग्यारसपुर	75 71	201 161	सिरोंज नटेरन लटेरी	93 84 61	209 217 132
			योग . .	196 526		146	362		238	558
इन्दौर संभाग										
6	इन्दौर	सांवेर इन्दौर	75 64	295 227		निरंक		देपालपुर डॉ. अम्बे (महू)	100 75	256 267
			योग . .	139 522		0			175	523
7	खरगौन	बड़वाह महेश्वर	114 69	416 265	कसरावद झिरन्या खरगौन	83 76 43	303 215 169	भीकनगांव भगवानपुरा गोगांवा सेगांव	65 61 46 37	234 227 156 100
			योग . .	183 681		202	687		209	717

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8	खण्डवा	पुनासा	72	249	खालवा	86	282	पंधाना	84	257
		हरसूद	42	129	खण्डवा	72	169	छैगांवमाखन	59	191
		बलड़ी	21	75						
		योग . .	135	453		158	451		143	448
9	धार	नालछा	67	172	बदनावर	89	240	सरदारपुर	95	323
		गंधवानी	66	172	तिरला	52	123	बाग	48	151
		मनावर	64	170	उमरबन	61	161	निसरपुर	34	119
					धार	52	137	डही	45	118
		धरमपुरी	51	162	कुक्षी	37	104			
		योग . .	248	676		291	765		222	711
10	झाबुआ	पेटलावद	77	231	थांदला	67	181	झाबुआ	68	198
					मेघनगर	61	172	रानापुर	47	145
								रामा	55	165
		योग . .	77	231		128	353		170	508
11	बुरहानपुर		निरंक			77	338	खकनार	90	265
		योग . .				77	338		90	265
12	अलीराजपुर							सोण्डवा	74	180
								अलीराजपुर	53	130
								भावरा	34	117
					निरंक			कटिठवाड़ा	49	112
								उदयगढ़	40	97
								जोबट	38	93
		योग . .							288	729
13	बड़वानी	राजपुर	66	186	सेंधवा	114	294	बड़वानी	52	172
		ठीकरी	58	184	पाटी	45	149	पानसेमल	39	149
								निवाली	42	128
		योग . .	124	370		159	443		133	449
ग्वालियर संभाग										
14	ग्वालियर				मुरार	60	163	घाटीगांव	46	187
					भितरवार	82	234	डबरा (जिला	68	209
								पंचायत वार्ड		
								क्र. 7, जनपद		
		निरंक						पंचायत वार्ड		
								क्र. 13 और ग्राम		
								पंचायत चेतूपाड़ा		
								अरूसी को छोड़कर)		
		योग . .				142	397		114	396

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15	गुना	गुना	83	303	राघौगढ़ आरोन	99 57	279 160	चांचौड़ा बमोरी	106 80	248 202
		योग . .	83	303		156	439		186	450
16	शिवपुरी	खनियाधाना	101	279	पिछोर नरवर	75 64	194 192	पोहरी करेरा	86 66	200 200
		बदरवास	66	217	कोलारस	68	187	शिवपुरी	74	179
		योग . .	167	496		207	573		226	579
17	अशोकनगर	मुंगावली	91	259	अशोकनगर	104	270	इसागढ़ चंदेरी	83 56	242 159
		योग . .	91	259		104	270	इसागढ़	139	401
18	दतिया					निरंक		दतिया सेवडा माण्डेर	131 91 68	361 292 185
		योग . .							290	838
जबलपुर संभाग										
19	जबलपुर	सिहोरा	60	191		निरंक		मझौली	84	203
		कुण्डम	68	162				पाटन	78	200
		पनागर	62	155				शाहपुरा	84	236
		जबलपुर	80	212						
		योग . .	270	720	-	0			246	639
20	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	58	170	सोसर	59	166	तामिया	53	127
		मोहखेड़ा	79	222	पादुरना	72	184	हरई	67	178
		जुनारदेव	95	243				परासिया	91	281
		चौरई	89	212				अमरबाड़ा	71	191
		बिछुआ	50	101						
		योग . .	371	948		131	350		282	777
21	सिवनी	सिवनी	129	364	लखनादौन	108	260	केवलारी	78	270
					घंसौर	77	209	छपारा	54	185
		बरघाट	90	239	घनोरा	47	148	कुरई	62	155
		योग . .	219	603		232	617		194	610

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
22	बालाघाट	बेहर	56	128	लांजी	77	219	बालाघाट	77	236
		बिरसा	62	196	किरनापुर	83	231	परसवाड़ा	57	143
		वारासिवनी	60	187	कटंगी	81	239	लालबर्गा	77	201
		खेरलांजी	62	194						
		योग . .	240	705		241	689		211	580
23	मण्डला	नारायणगंज	49	96	बिछिया	71	168	घुघरी	46	119
		निवास	35	82	मवई	52	107	मौहगांव	38	104
		बीजाडांडी	40	93	नैनपुर	74	167	मण्डला	81	231
		योग . .	124	271		197	442		165	454
24	डिण्डौरी	शहपुरा	69	149	डिण्डौरी	70	165	समनापुर	48	105
								बजाग	46	95
		मेंहदवानी	46	96	अमरपुर	43	88	करंजिया	42	102
		योग . .	115	245		113	253		136	302
25	नरसिंहपुर				निरंक			नरसिंहपुर	86	208
								गोटेगांव	90	235
								करेली	64	171
								चावरपाठा	83	209
								चीचली	65	177
								साईखेड़ा	58	151
		योग . .							446	1151
26	कटनी	बहोरीबंद	79	220	बड़वाहा	66	215	विजयराघवगढ़	74	203
		रीठी	56	144	कटनी	59	162	ढीमरखेड़ा	73	201
		योग . .	135	364		125	377		147	404
उज्जैन संभाग										
27	उज्जैन	खाचरौद	130	320	बड़नगर	107	289	महिदपुर	120	303
		घट्टिया	69	181	उज्जैन	76	239	तराना	107	272
		योग . .	199	501		183	528		227	575
28	नीमच	नीमच	66	261	जावद	73	289	मनासा	97	296
		योग . .	66	261		73	289		97	296
29	रतलाम	आलोट	90	239	बाजना	65	193	रतलाम	96	333
								जावरा	68	228
					सैलाना	47	152	पिपलोदा	52	176
		योग . .	90	239		112	345		216	737

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
30	शाजापुर	शाजापुर	93	276	मो. बडोदिया	86	301	शुजालपुर कालापीपल	71 76	233 276
			योग . .	93	276		86	301		147 509
31	आगरमालवा	आगर	59	163	बड़ौद	65	169	सुसनेर नलखेड़ा	55 48	159 137
			योग . .	59	163		65	169		103 296
32	मंदसौर	मंदसौर	119	376	सीतामऊ भानपुरा	107 45	322 166	गरोठ मल्हारगढ़	91 78	266 225
			योग . .	119	376		152	488		169 491
33	देवास	निरंक			देवास टोंकखुर्द सोनकच्छ	96 59 66	296 185 171	बागली कन्नौद खातेगांव	118 85 72	342 268 213
			योग . .			221	652			275 823
सागर संभाग										
34	सागर	सागर रेहली केसली	81 91 56	307 296 157	राहतगढ़ खुरई शाहगढ़ जैसीनगर	81 63 47 62	235 185 155 200	मालथौन बण्डा देवरी बीना	62 78 70 64	226 219 183 171
			योग . .	228	760		253	775		274 799
35	छतरपुर	छतरपुर राजनगर	81 86	281 271	बड़ामलहरा बकस्वाहा बारीगढ़	79 39 73	247 122 214	नौगांव लवकुशनगर बिजावर	75 65 60	257 188 173
			योग . .	167	552		191	583		200 618
36	दमोह	जवेरा पथरियां	70 62	218 192	दमोह बटियांगढ़	89 59	277 179	तेंदुखेड़ा हटा पटेरा	63 57 60	168 158 154
			योग . .	132	410		148	456		180 480
37	टीकमगढ़	निवाड़ी पृथ्वीपुर	71 65	225 198	जतारा पलेरा	93 71	319 236	बलदेवगढ़ टीकमगढ़	80 79	293 265
			योग . .	136	423		164	555		159 558

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
38	पन्ना			निरंक				गुन्नौर	83	259	
								पन्ना	81	237	
								पवई	82	233	
								शाहनगर	84	245	
								अजयगढ़	65	204	
				योग . .					395	1178	
रीवा संभाग											
39	रीवा	हनुमना	98	250	रीवा	92	299	सिरमौर	103	293	
		मऊगंज	82	227	रायपुर कर्चुलियान	104	289	जवा	87	281	
		नईगड़ी	76	184	गंगेव	88	255	त्यौंथर	97	273	
		योग . .	256	661		284	843		287	847	
40	सिंगरौली			निरंक		चितरंगी	115	378	देवसर	97	355
								बेढन	104	310	
				योग . .			115	378		201	665
41	सीधी	सीधी	115	299	सिहावल	100	279	रामपुर नैकिन	90	282	
					कुसमी	42	94	मझौली	53	172	
		योग . .	115	299		142	373		143	454	
42	सतना	मझगवां	96	318	नागौद	93	305				
		सोहावल	93	296	अमरपाटन	74	290	रामपुर बाधेलान	97	313	
		उचेहरा	70	221	रामनगर	54	200				
		योग . .	259	835		221	795		97	313	
नर्मदापुरम संभाग											
43	होशंगाबाद	सोहागपुर	66	169	सिवनी मालवा	95	214	होशंगाबाद	49	156	
		केसला	49	192	पिपरिया	53	153	बाबई	61	166	
								बनखेड़ी	53	140	
		योग . .	115	361		148	367		163	462	
44	बैतूल	बैतूल	77	246	घौड़ाडोंगरी	56	218	प्रभातपट्टन	65	180	
		आमला	68	188	मुलताई	69	169	भैंसदेही	50	146	
		शाहपुर	40	144	आठनेर	44	141	भीमपुर	54	185	
					चिचोली	33	76				
		योग . .	185	578		202	604		169	511	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
45	हरदा				निरंक			हरदा	73	163
								टिमरनी	73	191
								खिरकिया	67	184
			योग . .						213	538
शहडोल संभाग										
46	शहडोल	सोहागपुर	77	250	बड़ार	102	248	ब्योहारी	67	223
					गोहपारू	58	140	जयसिंह नगर	87	213
			योग . .	77	250		160	388	154	436
47	उमरिया		निरंक		मानपुर	83	306	करकेली	107	300
								पाली	44	113
			योग . .	0	0	83	306		151	413
48	अनूपपुर		निरंक		पुष्पराजगढ़	119	318	अनूपपुर	52	178
								जैतहरी	80	269
								कोतमा	31	75
			योग . .			119	318		163	522
चम्बल संभाग										
49	भिण्ड	रोन	41	212	अटेर	87	337	महगांव	104	382
		लहार	65	284	भिण्ड	62	304	गौहद	88	281
			योग . .	106	496	149	641		192	663
50	श्योपुर	श्योपुर	95	298	कराहल	50	145	निरंक		
		विजयपुर	80	245						
			योग . .	175	543	50	145		0	0
51	मुरैना	अम्बाह	55	271	मुरैना	106	373	सबलगढ़	65	215
								केलारस	65	202
		पोरसा	53	248	जौरा	70	314	पहाड़गढ़	64	182
			योग . .	108	519	176	687		194	599

हस्ता./--

(दीपक सक्सेना)

उपसचिव,

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 15 नवम्बर 2011

क्र. ए.डी.एम.-रीडर-2011-2431.—पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन के प्रतिवेदन क्रमांक पु.अ.-9534-11, दिनांक 16 अगस्त 2011 द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला उज्जैन के थाना बिरलाग्राम नागदा के 03 गांव (1) ग्राम परमारखेड़ी (2) ग्राम किलोदिया (3) गिदवानिया को थाना नागदा मंडी में सम्मिलित किये जाने हेतु क्षेत्रीय विधायक श्री दिलीपसिंह गुर्जर द्वारा मांग की गई है। इन्हीं ग्रामों के संबंध में समिति सदस्य (1) कलेक्टर, उज्जैन (2) पुलिस अधीक्षक, उज्जैन (3) जिला अभियोजन अधिकारी, उज्जैन द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रस्ताव दिनांक 9 नवम्बर 2011 प्रस्तुत किये गये जिनका विवरण इस प्रकार है:—

ग्राम का नाम	जनसंख्या	वर्तमान में किस थाने के अन्तर्गत गांव के हैं	वर्तमान थाने से दूरी व दिशा	नागदा मंडी थाने में गांवों को सम्मिलित करने हेतु उससे दूरी	थाने से गांव तक पहुंचने का साधन	विगत 05 वर्षों के अपराधों की स्थिति	ग्राम परिवर्तन का कारण	वर्तमान न्यायालयीन क्षेत्राधिकार एवं राजस्व क्षेत्र	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
परमारखेड़ी	900	बिरलाग्राम	5 कि.मी. पश्चिम	3 कि.मी. पश्चिम-दक्षिण.	सड़क मार्ग	14	जनसुविधा की दृष्टि से.	नागदा	अनुशंसा की जाती है.
किलोदिया	850	बिरलाग्राम	10 कि.मी. उत्तर-पश्चिम.	9 कि.मी. उत्तर-पश्चिम.	सड़क मार्ग	12	जनसुविधा की दृष्टि से.	नागदा	अनुशंसा की जाती है.
गिदवानिया	1600	बिरलाग्राम	6 कि.मी. उत्तर-पश्चिम.	5 कि.मी. उत्तर-पश्चिम.	सड़क मार्ग	47	जनसुविधा की दृष्टि से.	नागदा	अनुशंसा की जाती है.

अतः पुलिस अधीक्षक, जिला-उज्जैन के प्रतिवेदन एवं समिति की अनुशंसा से सहमत होते हुए ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए थाना बिरलाग्राम के 03 (1) ग्राम परमारखेड़ी (2) ग्राम किलोदिया (3) गिदवानिया को थाना नागदा मंडी में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

एम. गीता, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख), जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 13 नवम्बर 2014

क्र. 18-भू-अभि.-स्था.-2014-1326.—मध्यप्रदेश शासन, श्रमायुक्त मध्यप्रदेश इन्दौर के ज्ञाप क्रमांक 2-3-आठ-बंधक-2004-28683-84, इन्दौर, दिनांक 8 सितम्बर 2014 के तारतम्य में बंधक प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अन्तर्गत जिला स्तरीय

एवं खण्ड स्तरीय सतर्कता समिति का पुनर्गठन आगामी दो वर्षों के लिये किया जाता है:—

जिला स्तरीय समिति

अध्यक्ष	—	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, शहडोल (म. प्र.)
सदस्य	—	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शहडोल (म. प्र.) 2. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, शहडोल (म. प्र.) 3. प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख, शहडोल (म. प्र.) 4. श्रम पदाधिकारी, शहडोल (म. प्र.) 5. महाप्रबंधक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, शहडोल (म. प्र.)
अशासकीय सदस्य	—	1. श्री देवीदीन अहिरवार, ग्राम पो. जयसिंहनगर जिला शहडोल (म. प्र.) 2. श्री गोविन्द सिंह, ग्राम पो. जैतपुर, जिला शहडोल (म. प्र.) 3. श्री मनीलाल सिंह परस्ते, ग्राम सारंगढ़, जिला शहडोल (म. प्र.) 4. श्री के. पी. सिंह, ग्राम वाणसागर, जिला शहडोल (म. प्र.) 5. श्री अनूप त्रिपाठी, सोहागपुर, जिला शहडोल (म. प्र.)

उप खण्ड स्तरीय समिति

अध्यक्ष	—	1. अनुविभागीय अधिकारी, ब्यौहारी जिला शहडोल (म. प्र.)
शासकीय सदस्य	—	2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, ब्यौहारी 3. तहसीलदार, तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल (म. प्र.) 4. शाखा प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक ब्यौहारी, जिला शहडोल 5. शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक चर्चाई, तह. ब्यौहारी, जिला शहडोल 6. शाखा प्रबंधक, जिला सह. कृषि ग्रामीण बैंक ब्यौहारी
अशासकीय सदस्य	—	7. श्री हनुमानदीन पिता श्री भकोले प्रसाद वर्मन, ग्राम मुदरिया पो. ब्यौहारी, जिला शहडोल (म. प्र.) 8. श्री रामदीन पिता झुट्टा कोल, ग्राम पो. ब्यौहारी, जिला शहडोल 9. श्रीमती गीता कोल पति श्री संतोष कोल, ग्राम पो. ब्यौहारी (शहडोल) 10. श्री दामोदार पिता श्री मंगलराम मिश्रा, ग्राम तेन्दुहा, पो. पपौंध, तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल (म. प्र.) 11. श्री अनिल कुमार पिता श्री बीरेन्द्र सिंह, ग्राम रमपुरवा पो. समान तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल (म. प्र.)

उप खण्ड स्तरीय समिति

अध्यक्ष	—	1. अनुविभागीय अधिकारी, जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म. प्र.)
शासकीय सदस्य	—	2. तहसीलदार तहसील जयसिंह नगर, जिला शहडोल (म. प्र.) 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जन. पंचा. जयसिंहनगर, जिला शहडोल 4. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, जयसिंहनगर जिला शहडोल (म. प्र.) 5. शाखा प्रबंधक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टिहकी तह. ब्यौहारी जि. शहडोल 6. थाना प्रभारी, थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल (म. प्र.)
अशासकीय सदस्य	—	7. श्री मईकू बैगा ग्राम पो. जयसिंहनगर जिला शहडोल (म. प्र.) 8. श्री सरजू सिंह गोंड, ग्राम अन्तौली तह. जयसिंहनगर जिला शहडोल 9. श्री शिव प्रसाद चर्मकार, ग्राम सरवारी तह. जयसिंहनगर जिला शहडोल

- अशासकीय सदस्य — 10. श्री कृष्ण तिवारी, ग्राम कुबरा तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल
11. श्री रामाधीन शुक्ला, ग्राम करकी, तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल
12. श्री दिनकर तिवारी, ग्राम कुबरा, तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल.

उप-खण्ड स्तरीय समिति

- अध्यक्ष — 1. अनुविभागीय अधिकारी, सोहागपुर, जिला शहडोल (म. प्र.)
शासकीय सदस्य — 2. तहसीलदार, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल (म. प्र.)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गोहपारू
4. प्रो. अनिल उपाध्याय, प्राध्यापक, शासकीय नेहरू महाविद्या. बुढार
5. शाखा प्रबंधक, भूमि विकास बैंक, शाखा शहडोल, जिला शहडोल
अशासकीय सदस्य — 6. श्रीमती मुन्नी चौधरी, निवासी धनपुरा, तहसील बुढार, जिला शहडोल
7. श्री चरकू बैगा, ग्राम जमुई, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल (म. प्र.)
8. श्री श्याम सुन्दर सिंह, निवासी बरमनियों तहसील गोहपारू जिला शहडोल (म. प्र.)
9. श्री विवेक पाण्डेय, (सामाजिक कार्यकर्ता) निवासी शहडोल, जिला शहडोल (म. प्र.)
10. श्री दुर्गा तिवारी, निवासी खन्नौधी, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल (म. प्र.)

उप-खण्ड स्तरीय समिति

- अध्यक्ष — 1. अनुविभागीय अधिकारी, जैतपुर, जिला शहडोल (म. प्र.)
शासकीय सदस्य — 2. तहसीलदार, तहसील जैतपुर एवं बुढार, जिला शहडोल (म. प्र.)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बुढार जिला शहडोल
4. परियोजना अधिकारी, एकीकृत महिला बाल विकास, बुढार
5. थाना प्रभारी, थाना जैतपुर, जिला शहडोल (म. प्र.)
अशासकीय सदस्य — 6. श्रीमती प्रेम बाई, ग्राम बरगिवाँ
7. श्री भारत लाल चौधरी, ग्राम कदौडी
8. श्री नेक मोहम्मद (सामाजिक कार्यकर्ता) निवासी झींक बिजुरी
9. श्री महेन्द्र प्रताप सिंह (सामाजिक कार्यकर्ता) जैतपुर.

अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश

मण्डला, दिनांक 27 दिसम्बर 2014

क्र. ए. एस. सी.-2014-662.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-2-1999-1-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मैं, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर, मण्डला वर्ष 2015 में मण्डला जिले के लिये निर्मांकित तिथियों को सम्पूर्ण दिवस के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-

क्रमांक (1)	दिनांक (2)	दिन (3)	स्थानीय अवकाश का नाम (4)
1	7-3-2015	शनिवार	होली (भाईदूज)
2	21-10-2015	बुधवार	दशहरा (महाष्टमी)
3	13-11-2015	शुक्रवार	दीपावली (भाईदूज)

उक्त अवकाश बैंकों, कोषालयों/उप कोषालयों के लिये लागू नहीं होंगे.

लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश

कटनी, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. 1328-स्था.-स्था.अव.-2014.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-2 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-2-1999-1-4, भोपाल दिनांक 30 मार्च 1999 के अनुसार विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, विकास सिंह नरवाल, (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला कटनी वर्ष 2015 के लिए अधोलिखित तालिका में दर्शित तिथियों में कटनी जिले के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :—

क्रमांक	त्यौहार का नाम	स्थानीय अवकाश की दिनांक	दिवस	रिमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	होली (भाई दूज)	7 मार्च 2015	शनिवार	संपूर्ण जिला
2	दशहरा महाष्टमी	21 अक्टूबर 2015	बुधवार	संपूर्ण जिला
3	दीपावली का दूसरा दिन	12 नवम्बर 2015	गुरुवार	संपूर्ण जिला

उक्त आदेश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होंगे.

विकास सिंह नरवाल, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 2 जनवरी 2015

क्र. सामान्य-1-2014-1-2-क्रमांक एफ-59-01-04.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3-3-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो के अनुक्रम-4 के नियम-8 अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर, जिला शाजापुर वर्ष 2015 के लिये निम्नानुसार दिनांकों को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

अ. क्र.	नाम त्यौहार	दिनांक	वार	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	रंगपंचमी	10-3-2015	मंगलवार	संपूर्ण जिला
2	दशहरे का दूसरा दिन	23-10-2015	शुक्रवार	संपूर्ण जिला
3	भाई दूज	13-11-2015	शुक्रवार	संपूर्ण जिला

प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 21 नवम्बर 2014

प्र. क्र. 03-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन (अशासकीय भूमि)					धारा-12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
दतिया	दतिया	गुजरा	78	0.15	कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र.-9 दतिया, म. प्र.	राजघाट नहर परियोजना के अंतर्गत गुजरा माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कलेक्टर दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रकाश जांगरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 8 दिसम्बर 2014

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ . . . /10 पत्र क्र. 526 भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	कठहा	1.030	कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग संभाग, सतना म. प्र.	अमझर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 6 जनवरी 2015

प्र. क्र. 20 अ-82-वर्ष 12-13-भू-अर्जन-221.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	प्रभात पट्टन	0.111	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	पाबल लघु जलाशय के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अंतर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 24-1 (क) लागू.
- (5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ज्ञानेश्वर बी. पाटील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 5 जनवरी 2015

पत्र क्र. 7-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—त्योंथर

(ग) ग्राम—फरहदी

(घ) क्षेत्रफल—2.031 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर)

निजी भूमि शासकीय भूमि

(1)

(2)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

(1)	(2)	
206	0.087	-
205	0.124	-
204	0.154	-
203	0.182	-
58	0.001	-
202	0.054	-
209	0.085	-
212	0.145	-
201	0.158	-
213	0.145	-
216	0.100	-
198	0.002	-
217	0.212	-
218	0.206	-
219	0.176	-
221	0.127	-
197	0.073	-

(ब) शासकीय भूमि

महायोग . . . 2.031

निरंक

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर की माइनर नहर क्र. 4 के निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 9-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—त्योंथर

(ग) ग्राम—अतरैला कोठार

(घ) क्षेत्रफल—2.712 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर)

(1)	(2)	
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
235	0.114	-
237	0.205	-
233	0.039	-
238	0.048	-
232	0.061	-
240	0.095	-
231	0.054	-
241	0.001	-
242	0.131	-
244	0.17	-
201	0.394	-
200	0.007	-
251	0.135	-
198	0.016	-
252	0.163	-
254	0.106	-

(1)	(2)	(2)
255	0.079	-
257	0.030	-
258	0.073	-
259	0.003	-
272	0.118	-
263	0.218	-
264	0.145	-
269	0.052	-
265	0.120	-
266	0.128	-
योग . .	<u>2.705</u>	
(ब) शासकीय भूमि		निरंक
243	0.007	-
योग . .	<u>0.007</u>	
महायोग . .	<u>2.712</u>	-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योथर उद्वहन योजना की माइनर नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 16 जनवरी 2015

पत्र क्र. 103-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—बांसा 30
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.281 हेक्टर.

खसरा	अर्जित रकबा
नं.	(हेक्टर में)
(1)	(2)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

1627/1	
1627/2	
1627/3	
1627/4	
1627/5	0.276
1627/6	
1630/1	
1630/2	
1632/1	
1632/2	
1632/3	0.029
1632/4	
1738/1	
1738/2	0.311

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर की माइनर नहर क्र. 4 के निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योथर
(ग) ग्राम—देउपा 266
(घ) क्षेत्रफल—0.414 हे.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा
	(हेक्टर में)
(1)	(2)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

13	0.270
2	0.144
योग . .	<u>0.414</u>

(ब) शासकीय भूमि

	निरंक
महायोग . .	<u>0.414</u>

(1)	(2)	(1)	(2)
1737/1/1		(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग—	2.241
1737/1/2	0.297	(ब) म. प्र. शासन की भूमि	
1737/1/3		1722	0.040
1737/1/क		म. प्र. शासन की भूमि का योग—	0.040
1737/2		अ+ब का योग	2.281
1636/1	0.064	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती	
1636/2		मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली	
1685	0.002	निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के	
1686/1		अर्जन हेतु.	
1686/2	0.036	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं	
1686/3		पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया	
1700/1/1		जा सकता है.	
1700/1/2	0.016	पत्र क्र. 105-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को	
1700/2		इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद	
1699/1/1		(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि	
1699/1/2	0.196	की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन	
1699/2		पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का	
1696/1	0.020	अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा,	
1696/2		घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के	
1694	0.009	अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	
1695/1	0.119	अनुसूची	
1695/2		(1) भूमि का वर्णन—	
1691	0.029	(क) जिला—सतना	
1690	0.120	(ख) तहसील—अमरपाटन	
1689	0.016	(ग) ग्राम—देऊ	
1676	0.110	(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.048 हेक्टर.	
1678	0.078	खसरा नं.	अर्जित रकबा
1677	0.010		(हेक्टर में)
1680/1	0.038	(1)	(2)
1680/2		(अ) निजी पट्टे की भूमि	
1679	0.027	668/1	0.576
1681	0.166	668/2	
1652/1/क		660	0.181
1652/1/ख		659	
1652/1/ग	0.138	659/2/1	0.291
1652/2		659/2/2	
1652/3		(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग—	1.048
1652/4		(ब) म. प्र. शासन की भूमि	-
1655/1		म. प्र. शासन की भूमि का योग—	0.000
1655/2	0.108	अ+ब का योग	1.048
1655/3			
1655/4			
1655/5			
1655/6			

(1)	(2)	(1)	(2)
5321/1		5440	0.057
5321/2	0.159	5466	0.044
5321/3		5467	0.042
5317	0.034	5462	0.006
5353/1, 5353/2	0.062	5463/1	
5325/1		5463/2	0.204
5325/2	0.347	5463/3	
5325/3		5463/4	
5324	0.087	5465/1	
5579	0.192	5465/2	0.010
5578	0.023	5465/3	
5569	0.554	5465/4	
5570	0.008	5465/5	
5571	0.076	5464	0.001
5564	0.011	5455	0.140
5568	0.043	5456	0.008
5567	0.077	5454	0.017
5565	0.030	5450	0.016
5562	0.003	5451	0.053
5561	0.010	5452	0.044
5566	0.032	5453	0.002
5555	0.029	4644	0.039
5556	0.043	4631	0.081
5560	0.018	4630	0.036
5557	0.049	4629	0.004
5558	0.036	4643	0.003
5559	0.028	4632	0.053
5554	0.059	4633	0.045
5553	0.012	4626	0.096
5552	0.026	4635	0.025
5437	0.009	4634	0.028
5543/1		4583/1	
5543/2	0.003	4583/2	0.116
5543/3		4583/3	
5542	0.023	4584	0.238
5540	0.007	4582/1	
5541	0.053	4582/2	
5438	0.033	4582/3	
5439	0.032	4582/4	0.046
5468	0.030	4582/5	
5441	0.007	4585	0.015

(1)	(2)	(1)	(2)
4507	0.022	4195	0.006
4506	0.158	4196	0.020
4505	0.020	4198	0.101
4500	0.031	4289	0.032
4504	0.019	4287	0.017
4503	0.040	4197	0.013
4502	0.214	4201	0.019
4586	0.007	4200	0.036
4501	0.297	4199/1, 4199/2	0.040
4515/1, 4515/2	0.146	4288	0.032
4514/1	0.024	4284/1, 4284/2	0.132
4514/2	0.024	4205	0.029
4514/3	0.049	4283	0.097
4514/4	0.049	4206/1, 4206/2	0.022
4513	0.085	4275	0.026
4512	0.393	4282	0.077
4516	0.030	4281	0.053
4517	0.014	4279	0.058
4535	0.011	4280	0.069
4534	0.012	4262/1, 4262/2	0.046
4536/1	0.008	4263	0.040
4536/2	0.008	4264	0.028
4536/3	0.012	4278	0.008
4537	0.023	4265	0.069
4538/1		4260/1	0.043
4538/2	0.056	4260/2	0.042
4538/3		4261	0.043
4295/1		2972	0.054
4295/2	0.460	4259	0.045
4295/3		4258	0.024
4295/4		2975	0.065
4296	0.012	2974	0.032
4297	0.076	2973	0.020
4298	0.005	2976	0.053
4299	0.011	2977	0.077
4294	0.051	3052	0.027
4293	0.180	3051	0.109
4300/1, 4300/2	0.052	2981	0.036
4182	0.018	3053	0.030
4290	0.041	3054	0.066
4194	0.008	3050	0.076

(1)	(2)	(1)	(2)
3055	0.004	3619/1, 3619/2	0.042
3046/1, 3046/2	0.146	3620	0.108
3049	0.094	3621	0.032
3048	0.005	3600/1	
3047	0.079	3600/2	0.071
3045	0.015	3600/3	
3044	0.063	3625/1, 3625/2	0.001
3042	0.120	3595	0.032
3036	0.001	3594	0.036
3038	0.094	3593/1, 3593/2	0.014
3039	0.093	3599	0.002
3041	0.007	3596	0.164
3040	0.102	3597	0.059
3037/1, 3037/2	0.107	3585	0.032
3203	0.036	3584	0.076
3200	0.006	3583	0.129
3029	0.045	3463	0.076
3028	0.012	3580	0.002
3204	0.129	3465	0.012
3205	0.116	3582	0.042
3206	0.001	3470	0.089
3215	0.022	3469	0.093
3218	0.158	3468	0.032
3219	0.020	3471	0.069
3217	0.051	3478	0.003
3216	0.007	3472	0.239
3221	0.033	3467	0.004
3222	0.061	3475	0.069
3223	0.045	3473	0.019
3371	0.173	3474	0.053
3369	0.028	1040	0.050
3370	0.077	1039	0.079
3613/1, 3613/2	0.005	1041	0.065
3614	0.042	1042	0.081
3615	0.150	1043/1, 1043/2	0.037
3616	0.051	1037	0.038
3368/1, 3368/2	0.003	1038	0.081
3610/1, 3610/2	0.001	1030	0.013
3609/1, 3609/2	0.019	1036	0.073
3617	0.001	1035	0.071
3618	0.041	1031	0.430

(1)	(2)	(1)	(2)
1034	0.032	862	0.043
948	0.029	855	0.040
1033	0.090	856	0.060
949	0.098	861	0.004
950/1, 950/2	0.146	859/1, 859/2	0.035
951	0.114	857	0.002
952/1, 952/2	0.063	858	0.105
955	0.005	860	0.005
962	0.025	781	0.104
961/1, 961/2	0.111	784	0.004
956	0.045	783	0.008
957	0.007	782	0.113
958	0.057	778	0.071
959	0.057	777	0.025
960	0.037	776	0.047
905/1, 905/2	0.019	779	0.001
904	0.002	953	0.001
970	0.024	4533	0.001
895	0.079	4539	0.002
896	0.076	775	0.002
892	0.042		
893	0.109		
894	0.027		
888	0.006		
889	0.053		
890	0.165		
849	0.041		
848	0.008		
876	0.007		
875	0.047		
850	0.061		
851	0.053		
874	0.011		
865	0.062		
852	0.037		
864	0.057		
853	0.002		
866	0.038		
863	0.088		
867	0.002		
854	0.030		
		(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग—	<u>19.400</u>
		(ब) म. प्र. शासन की भूमि	
		4291	<u>0.021</u>
		म. प्र. शासन की भूमि का योग—	<u>0.021</u>
		अ+ब का योग	<u>19.421</u>
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	

पत्र क्र. 109-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

संशोधित अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—		(1)	(2)
(क) जिला—रीवा		331/1	
(ख) तहसील—गुढ़		331/2	
(ग) ग्राम—भटिगवां 469		331/3	
(घ) क्षेत्रफल—5.475 हेक्टर.		331/4	0.233
खसरा	अर्जित रकबा	331/5	
नं.	(हेक्टर में)	331/6	
(1)	(2)	331/7	
		332/1	
		332/2	
		332/3	
		332/4	
		332/5	0.517
(अ) निजी पट्टे की भूमि		332/6	
340/1/क		332/7	
340/1/ख		332/8	
340/2		332/9	
340/3		336/1	
340/4		336/2	
340/5		336/3	
340/6	0.117	336/4	
340/7		336/5	0.048
340/8		336/6	
340/9		336/7	
340/10		336/8	
340/11		336/9	
340/12		303/1, 303/2, 303/3	0.437
325/1, 325/2	0.071	302/1	
324/1/क		302/2	0.052
324/1/ख		302/3	
324/2		301/1	
324/3		301/2	0.498
324/4	0.330	301/3	
324/5		297/1	
324/6		297/2	
326	0.080	297/3	0.348
328/1		297/4	
328/2		298/1	
328/3/क	0.021	298/2	0.059
328/3/ख		298/3	
330/1		299	0.045
330/2	0.079	283/1, 283/2	0.458
330/3			

(1)	(2)	(ग) ग्राम—गुढ़वा 162	
281/1, 281/2	0.012	(घ) क्षेत्रफल—3.899 हेक्टर.	
285	0.157		
284	0.040	खसरा नं.	अर्जित रकबा
288/1, 288/2	0.028		(हेक्टर में)
287	0.049	(1)	(2)
286	0.013		
276/1, 276/2	0.393	(अ) निजी पट्टे की भूमि	
270	0.170		
268	0.001	1634/1, 1634/2	0.031
269	0.010	1630/1, 1630/2	0.057
271	0.001	1631	0.043
265	0.638	1632	0.331
263	0.098	1639	0.089
264	0.052	1652/1	
376	0.350	1652/2	
300/1		1652/3	
300/2	0.005	1652/4	
300/3		1652/5	
300/4		1652/6	0.002
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग—	5.410	1652/7	
(ब) म. प्र. शासन की भूमि		1652/8	
323	0.065	1652/9	
म. प्र. शासन की भूमि का योग—	0.065	1652/10	
अ+ब का योग	5.475	1652/11	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		1652/12	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		1640/1/क	
		1640/1/ख	
		1640/1/ग	
		1640/1/घ	
		1640/2	0.644
		1640/3	
		1640/4	
		1640/5	
		1640/6	
		1649/1	
		1649/2	0.310
		1649/3	
		1648/1	
(1) भूमि का वर्णन—		1648/2	0.095
(क) जिला—रीवा		1648/3	
(ख) तहसील—गुढ़		1648/4	

(1)	(2)	(1)	(2)
1661/1/क		1143/1/क	
1661/1/ख		1143/1/क/1	
1661/1/ग	0.126	1143/1/क/2	
1661/1/घ		1143/1/ख	
1661/2		1143/2/क	
1661/3		1143/2/ख	
1662/1, 1662/2	0.381	1143/3	
1690	0.114	1143/4/क	
1663/1, 1663/2	0.025	1143/4/ख	
1670/1, 1670/2	0.036	1143/5/क	
1671	0.216	1143/5/ख	
1672	0.043	1143/6/क	0.123
1673	0.148	1143/6/ख	
1674	0.017	1143/7	
1675	0.013	1143/8	
1676	0.038	1143/9	
1678	0.002	1143/10	
1679	0.038	1143/11	
1680	0.086	1143/12	
1681/1		1143/13	
1681/2		1143/14	
1681/3		1143/15	
1681/4	0.037	1143/16	
1681/5		1141	0.016
1681/6		1633/1, 1633/2	0.001
1681/7		(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग—	<u>3.747</u>
1681/8		(ब) म. प्र. शासन की भूमि	
1683	0.066	1638	0.101
1684	0.123	1628	0.012
1682	0.056	1646	0.039
1685	0.277	म. प्र. शासन की भूमि का योग—	<u>0.152</u>
1686/1		अ+ब का योग	<u>3.899</u>
1686/2		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती	
1686/3		मुख्य नहर” में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं	
1686/4	0.163	उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
1686/5		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं	
1686/6		पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया	
1686/7		जा सकता है.	
1686/8		पत्र क्र. 113-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को	
1686/9		इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद	
		(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि	

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासि और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

संशोधित अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—टीकर 227

(घ) क्षेत्रफल—36.420 हेक्टर.

खसरा

नं.

(1)

अर्जित रकबा

(हेक्टर में)

(2)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

1680

0.597

1681

0.026

1682

0.026

1683

0.156

1677/1, 1677/2

0.337

1688

0.635

2229/1, 2229/2

2.825

2218

0.002

2219

0.007

2220

0.117

2228/1, 2228/2

0.015

2221

0.192

2227/1, 2227/2

0.002

2225

0.584

2231/1

2231/2

2231/3

2231/4

2231/5

2231/6

2231/7

2231/8

2231/9

2231/10

2231/11

2231/12

2224

0.001

(1)

(2)

2231

0.822

3813/1

3813/2

3813/3

3813/4

3813/5

3813/6

0.640

3813/7

3813/8

3813/9

3813/10

3813/11

3767

0.567

3757

0.012

3756

0.381

3770/1, 3770/2

0.257

3758/1

3758/2

3758/3

3758/4

3758/5

3758/6

3758/7

1.576

3758/8

3758/9

3758/10

3758/11

3758/12

3758/13

3759/1

3759/2

3759/3

3759/4

3759/5

3759/6

1.992

3759/7

3759/8

3759/9

3759/10

3759/11

(1)	(2)	(1)	(2)
3759/12		3730/1	
3759/13		3730/2	
3759/14		3730/3	
3759/15		3730/4	
3759/16		3730/5	2.330
3759/17		3730/6	
3759/18		3730/7	
3759/19		3730/8	
3759/20		3730/9	
3759/21		3730/10	
3759/22		(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग—	15.739
3759/23		(ब)—म. प्र. शासन की भूमि	
3759/24		1673	0.050
3759/25		1692	2.636
3759/26		1695	6.420
3759/27		1694	1.034
3759/28		1773	1.772
3759/29		1774	2.434
3759/30		1776	0.002
3759/31		1775	2.854
3759/32		1761	0.503
3759/33		2226	0.093
3759/34		3814	1.814
3759/35		3766	0.976
3759/36		3769	0.093
3759/37		म. प्र. शासन की भूमि का योग—	20.681
3759/38		अ+ब का योग	36.420
3759/39		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती	
3759/40		मुख्य नहर” में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं	
3760/1		उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
3760/2		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं	
3760/3		पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया	
3760/4		जा सकता है.	
3760/5		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
3760/6		आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.	
3760/7	0.912	कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं	
3760/8		पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,	
3760/9		राजस्व विभाग	
3760/10		बैतूल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014	
3760/11		प्र. क्र. 9-अ-82-वर्ष-2013-14-भू-अर्जन-10790.—चूंकि,	
		राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई	

अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि का संबंधी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—सोनोरा
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—22
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—0.070 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
290	0.070

योग . . . 0.070

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खड़आमला जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.
- (3) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 24-1 (क) लागू.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (5) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 8 अ-82-वर्ष-2013-14-भू-अर्जन-10791.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि का अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई

- (ग) नगर/ग्राम—खड़आमला
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—22
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—0.087 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
284/2	0.045
283/2	0.042
योग . . .	<u>0.087</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खड़आमला जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.
- (3) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 24-1 (क) लागू.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (5) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ज्ञानेश्वर बी. पाटील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 3 जनवरी 2015

क्र. 122-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि, की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी रा.नि.मं. भोमा

- (ग) ग्राम—पांजरा प.ह.नं. 30/35
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.60 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
अशासकीय	भूमि
(1)	(2)
147/1	0.06
145/2	0.12
137	0.10
136	0.10
135/2	0.07
130	0.06
123/4	0.01
123/3	0.04
123/2	0.04
योग . . .	
	0.60

- (2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) D.P.R. का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है।
- (3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है नहर निर्माण हेतु।
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है।

क्र. 139-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि, की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी रा.नि.मं. भोमा
(ग) ग्राम—पिपरिया प.ह.नं. 31/36
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.23 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
अशासकीय	भूमि
(1)	(2)
3/1	0.01
1	0.22
योग . . .	
	0.23

- (2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) D.P.R. का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है।

- (3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक हैं नहर निर्माण हेतु।

- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला में किया जा सकता है।

क्र. 140-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि, की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी रा.नि.मं. भोमा
(ग) ग्राम—जुरतरा प.ह.नं. 31/36
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.09 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
अशासकीय	भूमि
(1)	(2)
335	0.04
333	0.05
योग . . .	
	0.09

- (2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) D.P.R. का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है।

- (3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है नहर निर्माण हेतु।

- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

विवाह उपरांत नाम परिवर्तन "श्रीमती विधि डागलिया" पत्नी श्री श्रीकृष्ण डागलिया करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

आदेशानुसार,

वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 5 जनवरी 2015

क्र. B-12-दो-2-60-2014.—श्री राजेश कुमार शर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 20 दिसम्बर 2014 से दिनांक 27 दिसम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 दिसम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार शर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-14-दो-2-5-2013.—श्री गजेन्द्र सिंह, संकाय सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 3 जनवरी 2015 से दिनांक 7 जनवरी 2015 तक पांच दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट) जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 14 जनवरी 2015

आदेश

क्र. 1-स्था. सैट-2015.—श्रीमती महारूख जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 3 दिसम्बर 2014 से 13 दिसम्बर 2014 तक कुल ग्यारह दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया गया है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाशकाल में श्रीमती महारूख जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती महारूख जिल्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो निजी सचिव के पद पर कार्य करती रहतीं. अतः अवकाश अवधि दिनांक 3 दिसम्बर 2014 से 13 दिसम्बर 2014 को मूलभूत नियम 17 के अनुसार वेतनवृद्धि के लिये गिनी जावेगी.

ए. एम. येवलेकर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

क्र. 1503-गोपनीय-2014-II-2-33-57 (Pt.-11) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्रमांक I-1/2002/21-ब (एक), दिनांक 17/22 दिसम्बर, 2014 के अंतर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को स्तम्भ (4) में उल्लेखित कुटुम्ब न्यायालय में, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने [सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट दिनांक तक] अथवा अन्य आदेश जो भी पहले हो, पदस्थ करता है:—

सारणी

क्र.	सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी का नाम	आयु पूर्ण करने की तिथि	62 वर्ष की न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री शम्भु दयाल दुबे, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.	31-10-2016	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, खण्डवा की हैसियत से नवगठित न्यायालय में.
2.	श्री महेन्द्र पाल सिंह, अरोरा, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.	14-10-2016	द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय इंदौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

नोट.—उपरोक्त सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय, नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत होगा.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 5 जनवरी 2015

क्र. 03-गोपनीय-2015-दो-3-114-2014.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, कुमारी विधि गुप्ता, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सरदारपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सरदारपुर जिला धार का